

रिपोर्ट पटवारी हलका/आर०एल०आर०  
आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

सापकीर 18 सोनलगां सिमागावा 31-6-2024

दिनांक 18/10/24

*(Handwritten signature)*

08/10/24

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

क्र.सं. राजस्व/2020/6

दिनांक - 8/10/24

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिराधा की जाती है / नहीं जाती है।

*(Handwritten signature)*  
तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक क्लर्क उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू (राज.)

- आदेश :-

दिनांक 8-10-2024

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी-सम्बन्ध	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	सापकीर	2069-72	खसरा नं० 1214	सात्यनारायण फि साकलगां	सापकीर फि साकलगां

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

*(Handwritten signature)*  
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :-

क्र.सं. :- राजस्व/2020/ 30-31

- लिपि :-
1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
  2. प्रार्थी/प्रार्थीया .....

को सूचनार्थ।

*(Handwritten signature)*  
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी